International Journal of Multidisciplinary Research and Development

Volume: 2, Issue: 7, 518-523
July 2015
www.allsubjectjournal.com
e-ISSN: 2349-4182
p-ISSN: 2349-5979
Impact Factor: 3.762

मनीष कुमार श्रीवास्तव
राजनीति विज्ञान विभाग
एस0 आर0 एस0 महाविद्यालय,
नरैनी–बॉदा

Correspondence:
मनीष कुमार श्रीवास्तव
राजनीति विज्ञान विभाग
एस0 आर0 एस0 महाविद्यालय,
नरैनी–बॉदा

दक्षिण एषियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (एक विष्लेषणात्मक अध्ययन)

मनीष कुमार श्रीवास्तव

द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय एकता बढ़ाने और आर्थिक विकास करने के लिये अनेक क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हुई। पश्चिमी यूरोप में 1957 में 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' का जन्म हुआ। समाजवादी देशों में 1949 में 'पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद' (सी.एम.ई.ए.) की स्थापना हुई। लैटिन अमेरिका में उसका स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र (ल.ए.एफ.टी.ए.) और 'केन्द्रीय अमेरिका सामूहिक बाजार' (सी.ए.सी.एम.) का गठन 1960 में हुआ। अफ्रीका में 'केन्द्रीय अफ्रीका सीमाशुल्क और आर्थिक एकता' का प्रारंभ 1964 में हुआ। पूर्व–अफ्रीकी समुदाय' (इ.ए.,सी.) की स्थापना 1968 में हुई। साठवें दशक से एशिया महादेश में भी क्षेत्रीय संगठनों को स्थापित करने का प्रयत्न शुरू हुआ। 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन की स्थापना हुई। 1981 में 'गल्फ सहयोग– परिषद' और 1985 में 'दक्षेस–संगठन' को स्थापित किया गया।

सार्क का निर्माण

'सार्क' (दक्षेश) का पूरा नाम है ''साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल को–आपरेशन'' अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 7 व 8 दिसम्बर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के सात देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुयी। ये देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव। यह दक्षिण एशिया के सात पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरूवात है। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के इन नेताओं ने जो भाषण दिये, उनमें आपसी सहयोग बढाने और तनाव समाप्त करने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा की इस नये संगठन के जन्म से इन सात देशों के बीच सद्भावना, भाई–चारा और सहयोग का नया युग शुरू होगा उन्होंने ''क्षेत्रीय सहयोग संघ'' के जन्म को ''युगान्तकारी घटना'' नये युग का शुभारम्भ तथा सामूहिक सूझ–बूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया

अफगानिस्तान सार्क का आठवॉ सदस्य

ढाका में सम्पन्न 13वें सार्क शिखर सम्मेलन (2005) में अफगानिस्तान को संगठन का 8वॉ सदस्य तथा चीन व जापान को परिवेक्षक का दर्जा देने पर सहमति प्रदान की गयी। 03 अगस्त 2006 को ढाका में सम्पन्न सार्क के मंत्रियों की परिषद् में अमेरिका, कोरिया और यूरोपीय संघ को सार्क के परिवेक्षक का दर्जा देने पर सिद्धान्तः सहमति जताई है।

दक्षिण एशियाई संघ के सदस्य देशों में लगभग 125 करोड़ लोग रहते हैं। इस दृष्टि से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, जनशक्ति तथा प्रतिभा से भरपूर है तथापि इन देशों की जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण की समस्या से पीडित है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव प्रतिवर्ग किलोमीटर 180 है। जबकि विश्व का औसत प्रतिवर्ग किलोमीटर केवल 30 है। विश्व के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का भाग केवल दो प्रतिशत और निर्यात में 0.6 प्रतिशत है। भारत को छोड़ कर इस क्षेत्र के अन्य देशों को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। मालदीव को छोड़ कर संघ के शेष सदस्य भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से है। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के जरिये एक दूसरे से जुड़े हैं। विभाजन के पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये देश एक दूसरे से दूर हो गये।

''सार्क का विकास धीरे–धीरे हुआ है दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया –उर–रहमान ने दिया था। उन्होंने 1977 से 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की थी। उसके बाद ही उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें नवम्बर 1980 में आपसी सहयोग के लिए दस मुद्दे तय किये गये। बाद में इसमें से पर्यटन और संयुक्त उद्योग को निकाल दिया गया। इन्हीं में से दस मुद्दे आज भी ''सार्क'' देशों के बीच सहयोग का आधार है।

''सार्क'' के विदेश सचियों की अप्रैल 1981 में बांग्लादेश के दस्तावेज पर विचार करने के लिए एक बैठक हुयी थी। विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में सन् 1983 में हुयी थी। इसी बैठक में

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली औपचारिक घोषणा हुयी। विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाइ 1984 में मालद्वीप में और 1985 में भूटान में हुयी। उसके बाद ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुयी और इसका संवैधानिक स्वरूप निश्चित किया गया।

सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण– सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। अगस्त 1983 में ऐसे नौ क्षेत्र रेखांकित किये गये थे – कृषि, स्वास्थ्य सेवायें, मौसम विभाग, डाक–तार सेवायें, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। दो वर्ष बाद ढाका में इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिये गये–आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका।

सार्क का चार्टर एवं ढाका घोषणा– सार्क चार्टर में दस धारायें हैं इनमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है–

उद्देश्य – अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के मुख्य उद्देश्य हैं –

1. दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।
2. दक्षिण एशिया के देशों के सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना।
3. क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास मे तेजी लाना।
4. आपसी विश्वास, सूझ–बूझ तथा एक–दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना।
5. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना।
6. अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना।
7. सामान्य हित के मामलों पर अन्तराष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना।

सिद्धान्त – अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धान्त मुख्य हैं–

1. संगठन के ढांचे के अन्तर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धान्तों का सम्मान करना।
2. इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा बल्कि उनका पूरक होगा।
3. इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा।

संस्थायें– चार्टर के अन्तर्गत ''सार्क'' की निम्न संस्थाओं का उल्लेख किया गया है–

1. **शिखर सम्मेलन–** अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते है।

2. **मंत्रिपरिषद्–** अनुच्छेद 4 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद् है इसकी विशेष बैठके आवश्यकतानुसार कभी भी हो सकती है, परन्तु छह माह में एक बैठक होना आवश्यक है। इसके कार्य है– संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हित के मुद्दों के बारे में निर्णय करना, सहयोग के नये क्षेत्र खोजना आदि।

3. **स्थायी समिति** – अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों विदेश सचिवों की समिति है। इसकी बैठकें आवश्यकतानुसार कभी हो सकती है, परन्तु वर्ष में एक बैठक का होना अनिवार्य है। इसके प्रमुख कार्य हैं – सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना अन्तर क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ निर्धारित करना अध्ययन के आधार पर सहयोग के नये क्षेत्रों की पहचान करना।

4. **तकनीकी समितियॉ –** इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गयी है। इनमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये अपने–अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र और सम्भावनाओं का पता लगाती है।

5. **कार्यकारी समिति –** अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति की व्यवस्था की गयी है। इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जा सकती है।

6. **सचिवालय –** अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन (बंगलौर) के बाद 16 जनवरी 1987 को की गयी। 17 जनवरी 1987 से सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में है। महासचिव का कार्यकाल दो वर्ष रखा गया है तथा महासचिव का पद सदस्यों में बारी–बारी से घूमता रहता है। प्रत्येक सदस्य अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति को नामजद करता है। जिसे सार्क मंत्रिपरिषद् नियुक्त कर देती है। सार्क के सचिवालय को सात भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक कहते हैं।

7. **वित्तीय प्रावधान –** सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया है। कार्यक्रमों के व्यय को सदस्य देशों में बॉटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिशों का सहारा लिया जाता है।

सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों के अंशदान को निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है – भारत 32ः्ए पाकिस्तान 25ः्ए नेपाल, बंग्लादेश एवं श्रीलंका प्रत्येक का 11ः्ए और भूटान एवं मालदीव प्रत्येक का 05ः।

सार्क शिखर सम्मेलन

अब तक 18 सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न हो चुके हैं, जो निम्नांकित हैं :–

सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 – सार्क का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7–8 दिसम्बर, 1985 में हुआ जिसमें दक्षिण एशिया के 7 देशों ने विभिन्न समस्याओं और भाई–चारे तथा सहयोग के विभिन्न समस्याओं और भाई–चारे तथा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार–विमर्श एवं विश्लेषण किया।

सार्क का द्वितीय शिखर सम्मेलन 1986 – सार्क का द्वितीय शिखर सम्मेलन बंगलौर में 16–17 नवम्बर, 1986 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में निश्चित किया गया कि सार्क का सचिवालय काठमाण्डू में स्थापित होगा जिसके प्रथम महासचिव श्री अब्दुल हसन होंगे। सहयोग के क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, पर्यटन के विकास, रेडियो–दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रम, विपदा प्रबन्ध पर अध्ययन सम्मिलित किये गये और क्रियान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की गयी।

सार्क का तृतीय शिखर सम्मेलन 1987 – सार्क का तीन दिवसीय तृतीय शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में 4 नवम्बर, 1987 को समाप्त हुआ। आतंकवाद की समस्या पर सभी राष्ट्रों ने

खुलकर विचार किया। आतंकवाद निरोधक समझौता उस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। खाद्य सुरक्षा भण्डार की स्थापना एवं पर्यावरण की समस्या पर भी विचार–विमर्श हुआ।

सार्क का चतुर्थ शिखर सम्मेलन 1988 – सार्क (दक्षेस) का चतुर्थ शिखर सम्मेलन (29–31 दिसम्बर, 1988) क्षेत्रीय सहयोग के नूतन दिशा संकेत इंगित करता है। 'इस्लामाबाद घोषणा–पत्र' में दक्षेस 2000 एकीकृत योजना पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत शताब्दी के अन्त तक क्षेत्र की एक अरब से अधिक आबादी को आवास व शिक्षा देने का प्रावधान है। इसमें मादक–द्रव्यों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया गया। घोषणा–पत्र में परमाणु निरस्त्रीकरण पर बल देते हुए सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नया माहौल बनाने का स्वागत भी किया गया।

सार्क का पांचवां शिखर सम्मेलन 1990 – 23 नवम्बर, 1990 को मालदीव की राजधानी माले में 5 वां दक्षेस शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ व नेपाल के प्रधानमंत्री भट्टराय शामिल हुए। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम को दक्षेस का नया अध्यक्ष बनाया गया।

शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों ने माले घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किये। इन दक्षिण एशियाई देशों ने आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त उद्योग स्थापित करने तथा क्षेत्रीय परियोजनाओं हेतु सामूहिक कोष गठित करने का निर्णय किया। सम्मेलन के नेताओं ने विकासशील देशों के लिए अधिक दिनों तक खाद्य जुटाने के सम्बन्ध में जैव–प्रौद्योगिकी के महत्व तथा चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर बल दिया और इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। घोषणा–पत्र में क्षेत्र में आत्म–निर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। सम्मेलन में 1990 के दशक को 'दक्षेस बालिका दशक' वर्ष, 1991 को 'दक्षेस आश्रय वर्ष' और वर्ष 1993 को 'दक्षेस विकलांग वर्ष' मनाने का फैसला किया गया।

सार्क का छठा शिखर सम्मेलन 1991 – 21 दिसम्बर, 1991 को कोलम्बो में छठा सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति सार्क के नये अध्यक्ष बनाये गये। सम्मेलन में निम्नांकित बातों पर सहमति व्यक्त की गई :

(1) क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने के लिए व्यापक सहयोग और सदस्य देशों में सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाये।
(2) निरस्त्रीकरण की सामान्य प्रवृत्ति का स्वागत इस आशा से किया गया कि उससे सैन्य शक्तियों को विश्व के अन्य भागों में संयम बरतने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
(3) मानव अधिकारों के प्रश्न को केवल संकीर्ण और विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से न देखकर आर्थिक और सामाजिक पहलू के साथ सम्बद्ध करके देखा जाये।
(4) सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापार के उदारीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके संस्थागत ढांचे के बारे में समझौता किया जाये।
(5) गरीबी उन्मूलन के लिए एक सार्क समिति की स्थापना की जाये।
(6) 2000 ई. तक क्षेत्र के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करायी जाये।

छठे शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के अनेक क्षेत्रों में ठोस कदम उठाये गये। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रशंसनीय बात यह रही कि आर्थिक सहयोग समिति की यह सिफारिश छठे सार्क शिखर सम्मेलन ने अनुमोदित कर दी कि एक अन्तर सरकारी दल गठित किया जाये जो एक संस्थागत रूपरेखा तैयार करे और उस पर सहमति हासिल करे और इसके अन्तर्गत व्यापार के उदारीकरण के लिए विशेष कदम उठाये। एक अन्य दूरगामी महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि क्षेत्रीय संस्थानों को समेकित करके एक कोष चलाया जाये तथा वित्तीय संस्थानों के विकास के लिए सार्क देशों की एक क्षेत्रीय परिषद गठित की जाये जो इस कोष की प्रबन्ध व्यवस्था देखे। तकनीकी सहयोग के 13 सहमत क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्ष 1991 के दौरान सार्क के 62 कार्य कलाप हुए और इनमें से लगभग एक–चौथाई कार्यकलाप भारत में सम्पन्न हुए।

सार्क का सातवां शिखर सम्मेलन 1993 – सार्क का सातवां शिखर सम्मेलन 10–11 अप्रैल, 1993 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने की। सातवें सार्क शिखर सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही ''सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था'' पर हस्ताक्षर किया जाना, जो सार्क क्षेत्र में व्यापारिक उदारीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। सातवें सार्क शिखर सम्मेलन के निर्णय के अनुसार महिला तथा परिवार स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सार्क मन्त्री सम्मेलन 21 से 23 नवम्बर, 1993 तक काठमाण्डू में आयोजित किया गया।

सार्क का आठवां शिखर सम्मेलन 1995– 3–4 मई, 1995 को सार्क का आठवां शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में सार्क के सातों देश सहमत हुए कि सभी सदस्य देशों में अन्तर–जन– संचार के लिए 'वीजा' नियमों को उदार बनाया जाना चाहिए। सम्मेलन ने भेदभाव रहित अन्तर्राष्ट्रीय आणविक निःशस्त्रीकरण की मांग की। आतंकवाद एवं गरीबी के खिलाफ युद्ध की घोषणा दिल्ली घोषणा पत्र का मुख्य स्वर है। सन् 2002 तक पूरे क्षेत्र से गरीबी मिटाने का संकल्प व्यक्त किया गया। आठवें शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि सात देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता लागू करना स्वीकार कर लिया। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र 8 दिसम्बर, 1995 से अस्तित्व में लाना तय हुआ। समझौता लागू होने के प्रथम चरण में भारत में 106 वस्तुओं, पाकिस्तान ने 35, श्रीलंका ने 31, मालदीव ने 17, नेपाल ने 14, बांग्लादेश ने 12 और भूटान ने 7 वस्तुओं पर तटकर में छूट देने की सूचना दी।

सार्क का नौवां शिखर सम्मेलन 1997– सार्क का नौवां शिखर सम्मेलन 12–14 मई, 1997 को मालदीव की राजधानी माले में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन मालदीव के राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम ने किया।

सम्मेलन की समाप्ति के अवसर पर सर्वसम्मति से जारी संयुक्त घोषणा–पत्र में यह स्वीकार किया गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शान्ति एवं स्थिरता का माहौल बनाए रखने तथा इस क्षेत्र के त्वरित सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों का होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक स्तर पर अनौपचारिक वार्ताओं के महत्त्व को घोषणा–पत्र में स्वीकार किया गया।

दक्षिण एशिया क्षेत्र को एक स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने के सन् 2005 तक के पूर्ण निर्धारित लक्ष्य को अब सन् 2001 तक ही प्राप्त करने की बात माले घोषणा–पत्र में कही गई है। आतंकवाद से निपटने के मामले पर घोषणा–पत्र में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने वाले गुटों के विदेशों में धन एकत्रित करने पर तुरन्त रोक लगाई जाए। इस सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर 1996 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र को स्वीकार किए जाने की मांग घोषणा–पत्र में की गई है।

भारत के तात्कालिक प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल ने दक्षिण एशियाई देशों के इस संगठन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने व सदस्य देशों के बीच आर्थिक सम्पर्क घनिष्ठ करने के लिए 'दक्षिण एशियाई स्वतन्त्र व्यापार' की परिणति 'दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय' में करने का आह्वान किया।

सार्क का दसवां शिखर सम्मेलन 1998 – 29–31 जुलाई, 1998 को कोलम्बो में दसवें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारतीय शिष्टमण्डल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने की। शिखर सम्मेलन ने व्यापार और निवेश के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार से सम्बन्धित करार अथवा संधि पर बातचीत आरम्भ करने के लिए सार्क के सभी सातों देशों के विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया जाएगा। इस करार में व्यापार मुक्त करने के लिए बाध्य अनुसूचियों का उल्लेख होगा और इसे 2001 तक अंतिम रूप दे दिए जाने और सही स्थिति में ले आने की सम्भावना है।

कोलम्बो में सार्क नेता जनसंख्या वृद्धि को रोकने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल कल्याण और महिलाओं के विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित करते हुए सार्क के लिए सामाजिक चार्टर तैयार करने पर सहमत हुए। क्षेत्र में गरीबी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया और सार्क देशों के नेताओं ने वर्ष 2002 तक दक्षिण एशिया में गरीबी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

सार्क का 11 वां शिखर सम्मेलन 2002 – 12 अक्टूबर, 1999 को पाकिस्तान में सेना द्वारा तख्ता पलटने से 11वां सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित करना आवश्यक हो गया (काठमाण्डू में 26 से 28 नवम्बर, 1999 को होने का कार्यक्रम था) क्योंकि सार्क देशों ने सदस्य देश की लोकतान्त्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के बाद शिखर सम्मेलन आयोजित करने की सम्भावना पर अपनी चिन्ता व्यक्त की।

बहुप्रतीक्षित 11वां सार्क शिखर सम्मेलन 5–6 जनवरी, 2002 को काठमांडू में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की समाप्ति पर जारी 11 पृष्ठों के 56 सूत्रीय 'काठमांडू घोषणा पत्र' में आतंकवाद की समाप्ति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। आर्थिक सहयोग पर बल देते हुए क्षेत्रीय व्यापार को सुगम बनाकर इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सार्क घोषणा पत्र में कहा गया कि 'साफ्टा' अर्थात् 'दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र' का मसौदा–2002 के अन्त तक तैयार कर लिया जाये।

सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन 2004 – सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन जनवरी 2004 में इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में सम्पन्न हुआ। समृद्धि का रास्ता शान्ति के गर्भ से निकलता है। मुक्त व्यापार समृद्धि का वाहक है और आतंकवाद इसके लिए सबसे बड़ा खतरा। ये तीन निष्कर्ष हैं, जहां तक इस्लामाबाद में सार्क देशों के 12वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जुटे दक्षिण एशिया के सात देशों के नेता पहुंचे। इस्लामाबाद घोषणापत्र को 'ऐतिहासिक और मील का पत्थर' मानें, जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जफरुल्लास खान जमाली ने इसे बताया है, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि सार्क देशों की इस समझ तक पहुंचने के पीछे भारत की विकास यात्रा और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई मुख्य उत्प्रेरक साबित हुई है। पहली बार सार्क के एजेन्डे में अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत आतंकवाद के मुद्दे को शामिल किया गया और सातों देशों के शासनाध्यक्षों ने यह तय किया कि वे एक साथ मिलकर आतंकवाद से निबटेंगे और आतंकवादी समूहों को मिलने वाली मदद से निबटने के प्रभावी उपाय खोजेंगे। भारत का जोर हमेशा इस बात पर रहा है कि उसका पड़ोसी आतंकवादी संगठनों की मदद करता है, लेकिन सार्क के इस सालाना सम्मेलन में पाकिस्तान ने भी आतंकवाद पर भारत की चिन्ता से सहमति जताई है। इस्लामाबाद घोषणा–पत्र की सबसे बड़ी खासियत है शान्ति की कोशिशों में सबको शामिल करने की सोच। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि शान्ति की तलाश में सब साथ चलेंगे, सबकी बराबर भागीदारी होगी, विकास व समृद्धि की यात्रा मे सब सहभागी होंगे। दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार के लिए साफ्टा सन्धि को सार्क एजेन्डे में मंजूर किया गया और दक्षिण एशियाई देशों को प्राथमिकता देने वाली व्यापार सन्धि साफ्टा की दिशा में भी अच्छी प्रगति हुई है। यानी अगर पाकिस्तान भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं भी देता है तो साफ्टा के बाद अपने आप दक्षिण एशियाई देशों की व्यापार प्राथमिकताएं तय हो जाएंगी। 43 सूत्री इस्लामाबाद घोषणा–पत्र में सभी पड़ोसियों ने यह भी तय किया कि वे अपने आपसी विवादों को निबटाने के लिए वे शान्तिपूर्ण साधनों और संवाद का इस्तेमाल करेंगे। सभी देश आपसी मामलों के निबटारे के लिए अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता करते रहेंगे और एक–दूसरे के मामले में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। छोटे देशों की सुरक्षा को भी इसमें खासा महत्व दिया गया। अनेक किस्म के संदेहों, अविश्वास और असुरक्षा के माहौल में शुरू हुए सार्क सम्मेलन का बड़ा शानदार समापन हुआ। तमाम अटकलों के बीच प्रधानमंत्री बाजपेयी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से सद्भावना मुलाकात की। पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, आतंकवाद पर भारत के साथ साझा चिन्ता जताई और विज्ञान व तकनीक के साथ–साथ साझा व्यापार की जरूरत पर जोर दिया।

सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन 2005 – सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन 12–13 नवम्बर, 2005 को बांग्लादेश (ढाका) में सम्पन्न हुआ। भारत के प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष का पुरजोर ढंग से आह्वान करते हुए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के विकास, गरीबी उन्मूलन व ऊर्जा सुरक्षा के लिए ठोस उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया। सार्क देशों के बीच दैनिक हवाई सम्पर्क बढ़ाने, आपदा प्रबन्धन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सुनियोजित तन्त्र विकसित करने, पारस्परिक पारगमन सुविधाओं की व्यवस्था करने, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय व क्षेत्रीय खाद्य बैंक की स्थापना हेतु अनेक ठोस प्रस्ताव उन्होंने पेश किये। भारतीय प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि 1 जनवरी, 2006 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार (साफ्टा) लागू करने के मार्ग की सभी रुकावटों को समय से पूर्व दूर कर लिया जायेगा।

शिखर सम्मेलन के समापन से पूर्व तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर ढाका में हस्ताक्षर किये गये : यह समझौते दोहरे करारोपण से बचाव, वीजा नियमों में उदारता तथा सार्क पंचाट परिषद के गठन से सम्बन्धित हैं। 30 करोड़ डालर के आरम्भिक बजट से क्षेत्र के लिए एक गरीबी उन्मूलन कोष के गठन को सहमति भी दी गई। भारत इस कोष के लिए 10 करोड़ डालर की राशि प्रदान करने का वायदा पहले ही कर चुका है। अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता प्रदान करने का सम्मेलन में निर्णय लिया गया; वह इस समूह का आठवां सदस्य होगा।

सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 2007 – सार्क का चौदहवां सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में 4 अप्रैल 2007 को सम्पन्न हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने किया। आठवें सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान को शपथ दिलायी गयी। जिसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई सम्मिलित थे। दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। दिनांक 4 अप्रैल 2007 को समापन के समय 8 पृष्ठीय घोषणा–पत्र जारी किया गया जिसमें गरीबी एवं आपदाओं से मुकाबला करने का संकल्प लिया गया। अगला शिखर सम्मेलन मालदीव में सम्पन्न होने का प्रस्ताव भी पास हुआ।

सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन 2008 – सार्क का 15वां शिखर सम्मेलन 1–3 अगस्त 2008 को श्रीलंका के कोलम्बो में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण एशिया कनेक्टीविटी, ऊर्जा, पर्यावरण, जल संसाधन, गरीबी उन्मूलन, परिवहन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, संस्कृति, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, सार्क सामाजिक चार्टर, महिलाओं और बच्चों को शिक्षा, आतंकवाद के मुकाबले के सम्बन्ध में चर्चा की गई।

इस शिखर बैठक में चर्चा के प्रमुख बिन्दुओं में से एक बिन्दु वैश्विक खाद्य संकट था। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए सार्क सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक नवम्बर 2008 में नई दिल्ली में बुलाए जाने पर सहमति बनी। उन्होंने भोजन की उपलब्धता और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अधिक से अधिक सहयोग बनाने की जरूरत को स्वीकार किया।

सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन 2010 – दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क का शिखर सम्मेलन 29 अप्रैल 2010 को भूटान की राजधानी थिम्पू मे आयेाजित किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य थीम–हरित व सुखी दक्षिण एशिया का निर्माण थी। यह पहला अवसर था जब किसी सार्क देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए।

सम्मेलन के अंत में एक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया जिसमें 25 वर्षों में सार्क की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया गया। घोषणा पत्र में 2011–20 के दशक को डिकेड आफ इंट्रारीजनल कनेक्टीविटी इन सार्क के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई कृषि, परिवहन, जलवायु परिवर्तन, पर्यटन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आह्वान थिम्पू सम्मेलन में किया गया, सम्मेलन में दौरान जलवायु परिवर्तन के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया गया।

सार्क का 17वां शिखर सम्मेलन 2011 – 10–11 नवम्बर 2011 मालदीव के आडू सिटी में दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ दो दिन के इस शिखर सम्मेलन का थीम 'सम्पर्क निर्माण' था। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मण्डल का नेतृत्व डा0 मनमोहन सिंह ने किया इन 5 वर्षों में संगठन द्वारा दी गयी प्रभावकारी प्रगति का उल्लेख करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इन वर्षों में दक्षेस देशों मे सहयोग की गति और दायरे में वृद्धि हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि दक्षिण एशिया में शान्ति, सम्पन्नता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अपनी क्षमताओं के अनुरूप जो कुछ भी सम्भव होगा करेगा।

इस शिखर सम्मेलन ने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस सम्मेलन में की गयी उनमें दक्षेस राष्ट्रों के आपसी व्यापार, आपदा प्रबन्धन, समुद्री दस्युओं से निपटने की समस्या व वैश्विक आर्थिक संकट के मुद्दे शामिल थे। सम्मेलन में एक 20 सूत्री एजेन्डा अपनाया गया जिसमें शान्ति, विश्वास बहाली, स्वतन्त्रता, गरिमा लोकतन्त्र, आपसी सम्मान, सुशासन, मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति समर्पण व्यक्ति किया गया।

सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 2014 – दक्षेस का 18 वाँ शिखर सम्मेलन 26–27 नवम्बर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में सम्पन्न हुआ। "Deeper Integration for peace and prosperity" नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोईराला की मेजबानी में आयोजित 18वें शिखर सम्मेलन का थीम था।

शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए दक्षेस देशों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनेक घोषणाएं की। तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए कारोबारी वीजा की घोषणाएं इनमें शामिल थी दक्षेस के इस सम्मेलन में 36 बिन्दुओं वाले घोषणा पत्र में दक्षेस से जुड़े सभी पुराने मुद्दों के साथ–साथ ब्ल्यू इकोनॉमी (समुद्र आधारित अर्थ व्यवस्था) माइग्रेसन व 2015 के बाद की परिस्थितियों पर भी बाते कही गयी हैं। सभी तरह के आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए एक ''साइबर क्राइम मानिटरिंग डेस्क'' की स्थापना को सहमति सदस्य देशों ने इसमें व्यक्त की है।

सार्क के लिए उपग्रह की स्थापना के भारत के प्रस्ताव का घोषणा पत्र में स्वागत किया गया है। वर्ष 2016 को दक्षेस सांस्कृतिक विरासत का वर्ष इसमें घोषित किया गया है। दक्षेस का शिखर सम्मेलन आगे से दो–दो वर्ष के अन्तराल पर तथा आवश्यकता पड़ने पर इससे पूर्व आयोजित करने, मंत्रि परिषद तथा स्थाई समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार तथा कार्यक्रम समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार सम्पन्न करने को सहमति घोषणा पत्र में व्यक्त की गयी है। दक्षेस का आगामी 19वां शिखर में सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा।

सार्क की भूमिका का मूल्यांकन

आठ देशों का क्षेत्रीय संगठन में आबद्ध होना जहां एक अच्छी बात है वहीं यह कहना होगा कि ऐतिहासिक व भौगोलिक दृष्टि से म्यांमार (बर्मा) और अफगानिस्तान भी इस क्षेत्र के अविभाज्य अंग हैं। इनको समाहित किये बिना, यह क्षेत्रीय एकात्मकता अधूरी ही थी। यह आश्चर्य का ही विषय है कि इन दोनों देशों को इस क्षेत्रीय सहयोग में सहभागी होने के लिए आमन्त्रित क्यों नहीं किया गया? अब अफगानिस्तान को इस समूह का आठवां सदस्य बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है।

आठों देशों के बीच य़द्यपि राजनीतिक एवं सुरक्षा के विवादास्पद नये–पुराने उलझाव हैं पर आर्थिक विकास एवं सहयोग की अमिट सम्भावनाएं हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन की स्थापना ऐसे समय में हो रही है जबकि इसके कुछ सदस्य देशों के आपसी सम्बन्ध सामान्य नही हैं। मसलन पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध उतार–चढ़ाव के हैं, लेकिन राजनीतिक विग्रह के बावजूद आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है।

आलोचकों के अनुसार सार्क के मार्ग में अनेक कठिनाइयां और बाधाएं उत्पन्न होंगी जो इस क्षेत्र के राष्ट्रों की एकजुटता के प्रयत्नों को किसी भी समय ध्वस्त कर सकती हैं। आलोचक कहते हैं कि ;पद्ध दक्षिण एशिया की कोई पृथक् पहचान ही नहीं है, अतः क्षेत्रीय सहयोग का यह प्रयत्न मृत शिशु की भांति है। पाकिस्तान अपने आपको इस्लामिक मध्य–पूर्व का अंग समझता है, दक्षिण एशिया का नहीं। नेपाल कभी चीन की ओर देखता है और कभी भारत की ओर, श्रीलंका कुछ समय पूर्व तक आसियान की सदस्यता का इच्छुक था। ;पपद्ध सार्क के सदस्य राष्ट्रों में अत्यधिक विविधता है। नेपाल और भूटान में राजतन्त्र है; पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही है; भारत, श्रीलंका व मालदीव में लोकतन्त्र है; बांग्लादेश जनतन्त्र की ओर उन्मुख हो रहा है। सार्क में 4 इस्लामिक देश हैं, 2 बौद्ध हैं, एक हिदू और एक धर्मनिरपेक्ष देश। इन देशों की नीतियां और दृष्टिकोण भी एक–दूसरे के विरोधी हैं, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये देश एक–दूसरे के विरुद्ध मतदान करते हैं। ;पपपद्ध सार्क के सदस्य देशों में भारत आकार, आबादी और शक्ति की दृष्टि से 'बिग ब्रदर' की स्थिति रखता है जिससे छोटे देशों में शंका और अविश्वास पैदा हो सकता है। ;पअद्ध सार्क के सदस्य देशों में आपसी विवाद और संघर्ष के अनेक मुद्दे विद्यमान हैं। भारत पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराता है, श्रीलंका तमिल उग्रवादियों की गतिविधियों में भारत का हाथ देखता है। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर विवाद, भारत और बांग्लादेश में तमिल प्रवासियों का मुद्दा क्षेत्रीय सहयोग के माग्र में रुकावट डालते रहते हैं। ;अद्ध दक्षिण एशिया के राष्ट्र आज भी एक–दूसरे से कटे हुए हैं। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से लौह अयस्क मंगाता है जबकि बिहार और उड़ीसा से उसे यह सस्ती दरों पर मिल सकता है। नेपाल की शंका ने काठमाण्डू को चीन के निकट और भारत–पाक संघर्ष ने इस्लामाबाद को वाशिंगटन के निकट और दिल्ली को मास्को के निकट ला दिया है।

आलोचकों के अनुसार पिछले 16–17 वर्षों में सार्क 'कछुआ चाल' ही चला है। यह न तो 'यूरोपीय साझा बाजार' अथवा 'आसियान' की भांति आर्थिक शक्ति ही बन पाया है और न ही यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई राजनीतिक पहचान ही बना पाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा ने इसे 'बंटे हुए घर' की संज्ञा दी है।

साप्टा (South Asian Preferential Trade Arrangement – SAPTA) तथा साफ्टा (South Asian Free Trade Area –

SAFTA) सार्क की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। दिसम्बर 1995 से साप्टा लागू हो गया है। साप्टा के लागू हो जाने से दक्षेस देशों के मध्य उदार व्यापार व्यवस्था लागू हो गई है। क्षेत्र में मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए साप्टा का निर्माण किया गया जिससे कि क्षेत्र का आर्थिक और तकनीकी विकास सम्भव हो पाएगा। सार्क के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में 'दक्षिण एशियाई विकास संचय' के गठन का निर्णय भी लिया गया। 1 जनवरी, 2006 से साफ्टा प्रभावी हो गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोस्वामी भालचन्द्र, अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त, प्वाइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1998
2. प्रसाद लाल बहादुर, अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006
3. फडिया बी0एल0 अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2008
4. यूनिक सामान्य अध्ययन 2013 यूनीक पब्लिकेशन्स दिल्ली 2013
5. पंत डॉ0 आलोक, जैन जैन कुमार, भारतीय शासन तथा नागरिक जीवन, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद, 2013
6. कौशिक सुरेन्द्र, राजनीति विज्ञान, उपकार प्रकाशन, आगरा , 2014
7. समसामयिक वार्षिकी 2015 , प्रतियोगिता दर्पण, नई दिल्ली, 2015
8. बहादुर लाल प्रसाद, अर्न्तराष्ट्रीय सम्बन्ध, यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2015